(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

श्रीमती मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1811–पी.बी.आर./2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2013 पारित द्वारा नायव तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन– प्र0क0 10 अ–12/2012–13

श्रीमती सजनकुँवर पत्नि स्व. रूगनाथसिंह
ग्राम बलेड़ी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ---आवेदक

विरूद्ध

कमलसिंह पुत्र स्व.गोरधनसिंह राजपूत
ग्राम बलेड़ी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ---अनावेदक

(श्री रणजीत राठौर अभिभाषक – आवेदक)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 01 – 10 – 2015 को पारित)

नायव तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्र0 क0 10 अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार टप्पा इगोरिया तहसील बड़नगर के समक्ष आवेदन देकर उसके स्वामित्व की ग्राम बलेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1307/1 रकबा 0.11 है. तथा 1303/1 रकबा 0.10 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के सीमांकन की प्रार्थना की । नायव तहसीलदार ने प्र. क.10 अ–12/2012–13 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक को स्थल स्थिति अनुसार सीमांकन करने के आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक ने दि.12.3.13 को ग्राम बलेड़ी पहुंचकर वादग्रस्त भूमि का उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन दि. 18.3.13 नायव तहसीलदार को प्रस्तुत किया । सीमांकन प्रतिवेदन आने पर नायव तहसीलदार टप्पा

इंगोरिया ने प्र. क. 10अ-12/2012-13 में पारित आदेश दि. 19.03.13 से राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान करने वावत् आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 1307 एंव 1302 की भूमि-स्वामिनी है। सीमांकन के सम्बन्ध में मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी राजस्व निरीक्षक ने कोई जानकारी नहीं दी। सर्वे नंबर 1307 के बटे नंबर नहीं हुये हैं सर्वे नंबर 1307/1 अनावेदक के नाम से है किन्तु 1307/2 अनावेदक के भाई बहादुरसिंह का है। इस भूमि पर आवेदक के पुत्र ईश्वरसिंह, सुमेरसिंह, बीरेन्द्र का वर्ष 2006 से आधिपत्य चला आ रहा है इसके पूर्व उसके पति 40 वर्ष से काविज रहे है इसलिये सीमांकन कर सौंपा गया कब्जा व्यर्थ है। उन्होंने निगरानी ग्राह्य कर सुनवाई में लिये जाने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त बलेड़ी तहसील बड़नगर व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने वादग्रस्त भूमि का दि. 12.3.2013 को सीमांकन किया है। मौके पर तैयार किये गये पंचनामा में निम्नलिखित विवरण अंकित है -

'' आदेशानुसार आवेदक कमलसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत के सर्वे नं. 1303/1 रकबा 0.10 व सर्वे नं. 1307/1 रकबा 0.11 का सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बलेड़ी, पटवारी मौजा के साथ मौके पर आये । आवेदक पड़ौसी कृषक कोटवार व

पंचों के समक्ष तथा थाना इंगोरिया पुलिस बल श्री शर्मा जी हैड कांस्टेबल श्री कैलाशसिंह चौहान की उपस्थिति में जरीव चलाया पड़त भूमि का सीमांकन कार्य कर सीमाचिन्ह कायम कराये गये।'' पंचनामे पर 7 ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं जिनमें आवेदक के पुत्र सुमेर सिंह के भी हस्ताक्षर हैं जिसके सीमांकन के समय उपस्थित रहने का तथ्य पंचनामे में किया गया है कि आवेदक पड़ौसी कृषक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर ने प्र.क. 10 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 से सीमांकन कार्यवाही पुष्ट करने वावत् दिये गये में भी दोष नजर नहीं आता है। जहां तक सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है ? आवेदक स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 10 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर